

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2014

(आयकर)

का.आ. 2754 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 14 सितम्बर, 2001 को प्रकाशित भारत सरकार, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की दिनांक 14 सितम्बर, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 880(अ)का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए कार्यों अथवा किए जाने के लिए छोड़ गए कार्यों को छोड़कर एतद्वारा -

(क) यह निदेश देता है कि इसके साथ संलग्न अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट आयकर-आयुक्त, जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कालम (3) की तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थान पर है, उक्त अनुसूची के कालम (4) की तदनुसूची प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट इन प्रादेशिक क्षेत्रों में, कालम (5) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार ऐसे मामले अथवा मामलों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा सभी कार्य करेंगे;

(ख) इस अधिसूचना में संदर्भित आयुक्तों को, संबंधित आयकर आयुक्तों द्वारा जारी आदेशों के अनुसार उक्त अनुसूची के कालम (4) की तदनुसूची प्रविष्टियों से विनिर्दिष्ट इन प्रादेशिक क्षेत्रों में, कालम (5) में विनिर्दिष्ट मामलों अथवा मामलों की श्रेणियों के संबंध में ऐसे अपर आयुक्त आयकर अथवा संयुक्त आयुक्त, आयकर और कर वसूली अधिकारी जो उनके अधीनस्थ हैं, द्वारा शक्तियों के प्रयोग किए जाने और कार्यों का निष्पादन किए जाने के क्रम में लिखित में आदेश जारी किए जाने के लिए, प्राधिकृत करता है।

(ग) इस अधिसूचना के खण्ड (ख) में संदर्भित अपर आयुक्त, आयकर अथवा संयुक्त आयुक्त, आयकर को, ऐसे मामले अथवा मामलों की श्रेणियों जिनके संबंध में, ऐसे अपर आयुक्त आयकर अथवा संयुक्त आयुक्त आयकर, इस अधिसूचना के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आयकर आयुक्तों द्वारा प्राधिकृत हैं; के कर निर्धारण अधिकारियों, जो कि उक्त अपर आयुक्त आयकर अथवा संयुक्त आयुक्त, आयकर के अधीनस्थ हैं, द्वारा शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का निष्पादन करने के क्रम में लिखित में आदेश देने के लिए, प्राधिकृत करता है।

अनुसूची

क्र.सं. (1)	पदनाम (2)	मुख्यालय (3)	प्रादेशिक क्षेत्र (4)	मामले अथवा मामलों की श्रेणियां (5)
1.	आयकर आयुक्त (छूट) अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात राज्य, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र, दादर और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 1से 20 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
2.	आयकर आयुक्त (छूट) बैंगलोर	बैंगलोर	कर्नाटक और गोवा राज्य	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 21से 34 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।

3.	आयकर आयुक्त (छूट) भोपाल	भोपाल	मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 35 से 45 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
4.	आयकर आयुक्त (छूट) चण्डीगढ़	चण्डीगढ़	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 50 से 68 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
5.	आयकर आयुक्त (छूट) चेन्नई	चेन्नई	तमिलनाडू राज्य और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र (यनम और माहे जिले को छोड़कर)	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 69 से 87 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
6.	आयकर आयुक्त (छूट) दिल्ली-2	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 88 से 111 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
7.	आयकर आयुक्त (छूट) हैदराबाद	हैदराबाद	(i) तेलंगाना, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश राज्य (ii) संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी का यनम जिला	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले,

				कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 46 से 49 और 117 से 130 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
8.	आयकर आयुक्त (छूट) जयपुर	जयपुर	राजस्थान राज्य	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 131 से 140 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
9.	आयकर आयुक्त (छूट) कोची	कोची	(i) केरल राज्य (ii) पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का माहे जिला (iii) संघ राज्य क्षेत्र लक्ष्य द्वीप और मिनीकाय द्वीप समूह	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 152 से 157 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
10.	आयकर आयुक्त (छूट) कोलकाता	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 158 से 181 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
11.	आयकर आयुक्त (छूट) लखनऊ	लखनऊ	उत्तर प्रदेश और झारखण्ड राज्य	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 141 से 151 और 182 से 189 पर उल्लिखित आयकर

				प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
12.	आयकर आयुक्त (छूट) मुम्बई	मुम्बई	वृहत मुम्बई नगर निगम और नवी मुम्बई नगर निगम का क्षेत्र	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 190 से 224 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
13.	आयकर आयुक्त (छूट) पटना	पटना	बिहार और झारखण्ड राज्य	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 228 से 235 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।
14.	आयकर आयुक्त (छूट) पुणे	पुणे	मुम्बई और नवी मुम्बई को छोड़कर महाराष्ट्र राज्य	आयकर, अधिनियम, 1961 की धारा 10, 11, 12, 13क और 13ख के खण्ड (21), (22), (22क), 22(ख), (23), (23क), (23कक), 23(ख), (23ग), (23च), (23चक), (24), (46) और 47 के अन्तर्गत छूट का दावा करने वाले, कालम (4) में विनिर्दिष्ट सभी प्रादेशिक क्षेत्रों के व्यक्तियों के सभी मामले जो कि भारत सरकार की दिनांक 22-10-14 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2752 में विनिर्दिष्ट क्रम संख्या 225 से 227 और 236 से 241 पर उल्लिखित आयकर प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अथवा निर्धारण करने योग्य हों।

2. यह अधिसूचना 15 नवम्बर, 2014 से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 52/2014/फा.सं. 187/38/2014 (आईटीए.1)]

दीपशिखा शर्मा, निदेशक